15-10-19

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

पत्रांक– 1601 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, ~~सितम्बर~~ 01/10/ 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।

विषय– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 द्वारा ग्राम– कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–1– भारत सरकार का पत्र सं0 8–07/2019–एफ0सी0 दिनांक 28.08.2019
2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ का पत्रांक 272/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/अदर्स/ 23246/2016 दिनांक 04.09.2019।
3– इस कार्यालय का पत्रांक 1325/मी0/33/दिनांक 17.09.2019 ।
4– आपका पत्रांक 826/ओबरा/15भू0ह0, दिनांक 23.09.2019 ।

महोदय,

विषयक प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित 4 बिन्दु की आपत्ति की आख्या प्रेषित किया गया है। प्रेषित बिन्दुवार आख्या में निम्न कमियाँ परिलक्षित होती हैः–

बिन्दु संख्या–1 इस बिन्दु पर आप द्वारा चुर्क व डाला सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी उल्लेख किया गया है। वन भूमि पर स्थापित फैक्ट्री जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में है, इस संबध में ~~प्रभाग~~ स्तर से क्या–क्या कार्यवाही की गयी है उल्लेख नहीं किया गया है।

बिन्दु संख्या–2 इस बिन्दु पर आप द्वारा वर्ष 2008 में मेसर्स जे0पी0एसोसिएट्स लि0 के क्लेम के आधार पर वन वन्दोबस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा नये सिरे से वादों की सुनवाई करते हुए प्रश्नगत क्षेत्र को धारा–4 की विज्ञप्ति से पृथक किया गया है उल्लेख किया गया है। इस संबंध में विशेष सचिव उ0 प्र0शासन वन अनुभाग–2 के पत्र संख्या 946ए/14–2–2016–405 (96)/96, दिनांक 22.04.2016 द्वारा गठित जॉच समिति हेतु आप द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 3822/ओबरा/33 दिनांक 05.05.2018 द्वारा प्रेषित अभिलेख का उल्लेख नही किया गया है।

बिन्दु संख्या–3 इस बिन्दु पर आप द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 04.05.2016 एवं 30.05.2016 का उल्लेख किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अन्य मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लेख नहीं किया गया है।

बिन्दु संख्या–4 इस बिन्दु पर आप द्वारा प्रस्तावक के द्वारा दी गयी टिप्पणी को ही संलग्न कर प्रेषित किया गया है जो कदापि उचित नहीं है। इस बिन्दु पर अपनी स्वयं की टिप्पणी उल्लेख किया जाय।

अतः उक्त बिन्दु पर स्वयं का परीक्षण कर मय अभिलेखीय साक्ष्य सहित आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर